

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज.)

मिसल नं.:— 31

दिनांक:— 03.05.2018

:: निर्णय/डिक्री ::

सर्वश्री जयन्ति हाकेर पिता हिरा वायति निवासी सुन्दरपुर, हिना पत्नि जगदीश पदमात निवासी सुन्दरपुर, तेजपाल पिता कानजी पदमात मीणा निवासी सुन्दरपुर, श्री कमलचन्द पिता भेराजी कोटेड मीणा निवासी घुघरा व महिपाल पिता रूपलाल कोटडीया निवासी रघुनाथपुरा ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत केम्प सुरपुर में उपस्थित होकर आपसी सहमति से बटवारा करने वाद पेश किया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। खातेदारो द्वारा ग्राम लक्ष्मणपुरा कि संवत् 2070-73 की प्रमाणित प्रति, बंटवारा स्कीम जिसमे प्रत्येक को आने वाला हिस्सा एवं लगान को दर्शाया गया है तथा नक्शा ट्रेस में प्रत्येक के आने वाले हिस्से को पृथक-पृथक रंग से दर्शाया गया है प्रस्तुत किया। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस के संबंध में पटवारी हल्का एवं भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई है एवं तहसीलदार द्वारा अभिशंषा की गई है।

ग्राम लक्ष्मणपुरा पटवार क्षेत्र सुन्दरपुर तहसील व जिला डूंगरपुर कि सम्बत् 2070-73 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति अनुसार खाता संख्या 44 के खसरा नं. 781/760 रकबा 5 बिघा लगान 4.50 रूपया में सर्वश्री जयन्ति हाकेर पिता हिरा वायति निवासी सुन्दरपुर, हिना पत्नि जगदीश पदमात निवासी सुन्दरपुर, तेजपाल पिता कानजी पदमात मीणा निवासी सुन्दरपुर, श्री कमलचन्द पिता भेराजी कोटेड मीणा निवासी घुघरा व महिपाल पिता रूपलाल कोटडीया निवासी रघुनाथपुरा सहखातेदार सहखातेदार है। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम लक्ष्मणपुरा के खाता संख्या 44 के खसरा नं. 781/760 रकबा 5 बिघा लगान 4.50 रूपया का सहखातेदारो के मध्य प्रस्तुत बंटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस अनुसार बंटवारा किया जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर निर्णय/डिक्री की पालना सुनिश्चित कर राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल-दरामद की कार्यवाही करे। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस निर्णय/डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

(दिपक मेहता)

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर

31/5/18